न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र गंगासरा

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
भोमाराम पुत्र प्रहलादराम जाति–जाट निवासी–मूले का तला (सरली) तहसील एवं जिला बाड़मेर		1.घमण्डाराम पुत्र दुर्गाराम 2. बांकाराम पुत्र देदाराम जातियान जाट, निवासी मूले का तला तहसील व जिला बाड़मेर 3. रामसिंह गोदपुत्र सतीदानसिंह 4. विजयसिंह पुत्र भैरसिंह 5. ओमसिंह पुत्र भैरसिंह 6. गिरधरसिंह पुत्र भैरसिंह जातियान राजपुत निवासी–मूले का तला, तहसील व जिला बाडमेर 7. देदाराम पुत्र पुरखाराम जाति–जाट, निवासी–मूले का तला, तहसील व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत्

राजस्व आवेदन संख्या–84 / 2018 दिनांक–01.12.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मूले का तला, पटवार हलका सरली तहसील व जिला बाडमेंर के खेत खसरा नम्बर 382 रकबा 0.09 बीघा, खसरा नम्बर 621 / 384 रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस / पत्र सूचित करते हुऐ एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढ़ी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर

क्रमांक / रीडर / 2021 / 6481-6484 दिनांक– 01/12/2021

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरली को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी भोमाराम पुत्र प्रहलादराम जाति–जाट निवासी–मूले का तला (सरली) तहसील एवं जिला बाड़मेर ।
4. विप्रार्थी घमण्डाराम पुत्र दुर्गाराम वगैरा जाति जाट / राजपूत, निवासी मूले का तला तहसील व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)बाड़मेर